

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर**  
**"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015**

( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : aao2.dta@rajasthan.gov.in )

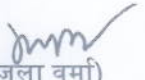
क्रमांक :- F3(ख)(1)अलेसे II / 200

दिनांक :- 10/05/2018

आदेश संख्या : 15/18-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II कार्मिक का आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने के फलस्वरूप पदस्थापन कालम संख्या 05 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है:-

| क्र.स.<br>(1) | लिक<br>नम्बर<br>(2) | नाम (सर्वश्री)<br>(3)                                | वर्तमान पदस्थापन कार्यालय<br>का नाम<br>(4)                                                                    | नव पदस्थापन कार्यालय का नाम<br>(5)               | विशेष विवरण<br>(6) |
|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 1             | 8598                | गोविन्द राम [सहायक<br>लेखाधिकारी ग्रेड -<br>द्वितीय] | उप कोषाधिकारी, कोष एवं<br>लेखा विभाग, सांगानेर,<br>जयपुर - 5825<br>( अधिशेष होने के कारण<br>कार्यमुक्त किया ) | निदेशक, समेकित बाल विकास<br>सेवाएं, जयपुर - 1765 | रिक्त पद पर        |

  
(मंजुला वर्मा)  
निदेशक

क्रमांक:- F3(ख)(1)अलेसे II / 200

दिनांक :- 10/05/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
3. कोषाधिकारी.....
4. श्री .....सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम / सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aao2.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III ) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
(अरविन्द दीवान)  
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक II)